

प्रारूप 3- (ब) 1 म.प्र. की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी उम्मीदवारों
द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप
(नियम 2,3,5 देखें)

स्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग शाजापुर जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश)
पुरनक क्रमांक प्रकरण क्रमांक 3860121
2001-02
प्रमाण पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

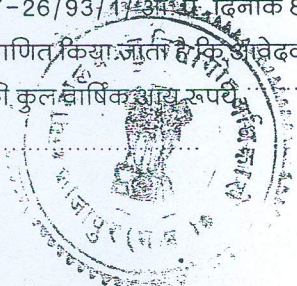
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश
आत्मज श्री राजेंद्र सिंह निवासी/ग्राम मकोड़ी जिला शाजापुर
संभाग उज्जैन म.प्र. के निवासी हैं, जो पाटीदार जाति के
हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, म.प्र. शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ8-
5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमन्यु किया गया है

श्री उमेश और/या उनका परिवार सामान्यतः म.प्र. के जिला
शाजापुर संभाग उज्जैन में निवास करता है व म.प्र. राज्य में दिनांक
प्रवृत्त कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेंद्र सिंह (पिता का नाम) क्रीमीलेयर (सम्पन्न
वर्ग) व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/
22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची कालम 3 में तथा म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन
क्रमांक एफ 7-26/93/11/अ.प्र. दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी उमेश
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये 2 है
दिनांक

(सील)



40
हस्ताक्षर
अनुविभागीय अधिकारी नाम
शाजापुर (म.प्र.)

Self attested
Text